फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

प्रार्थीः बनवारी व अन्य | अप्रार्थीः हनुमान व अन्य

केस संख्या : 152 /2016 | **प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		:—निर्णयः—	

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उप0।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1409/17 रकबा 15 बीघा ग्राम पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर हिस्सेनुसार लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। अप्रार्थी प्रार्थी की हिस्से की आराजीयात को जबरन बेचान करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थी के अधिकारो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे, न ही आराजी को रहन, वैय, मुन्तकिल करे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 15 फोर्मल पक्षकार है एवं अप्रार्थी संख्या 16 17 व 18 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी व अप्रार्थी का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। इस कारण न्यायालय के दृष्टिकोण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 1409/17 रकबा 15 बीघा ग्राम पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष खारिज किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट पहाडिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी